रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 200

No. 231] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941 [N.C.T.D. No. 200

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

सं. 27/2018–राज्य कर

फा. सं. 03(55)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/412.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करती है, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्ययन उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा।

अनुसूची

(1)	लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
(2)	कच्चे (आर्द और लवणीय) खाल और चर्म
(3)	समाचार पत्र और पत्रिकाएं
(4)	मेंथॉल, कपूर, केसर
(5)	बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल

(6)	लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं
(7)	सैल, बैटरी और रीचार्जेबल बैटरी
(8)	पेट्रोलियम उत्पाद
(9)	खतरनाक ओषधियां और मन:प्रभावी पदार्थ
(10)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियां और रसायन
(11)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद;
(12)	आतिशबाजी
(13)	लाल चंदन
(14)	चंदन की लकड़ी
(15)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल;
(16)	ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौद्योगीकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।
(17)	उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनंतिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मोचन नहीं लिया गया था ।

(2) यह अधिसूचना 13 जून, 2018 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2019

No. 27/2018–State Tax

F. No. 03(55)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/412.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 67 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the goods or the class of goods (hereinafter referred to as the said goods) mentioned in the Schedule below, which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2) of section 67 of the said Act, be disposed of by the proper officer, having regard to the perishable or hazardous nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space or any other relevant considerations of the said goods.

SCHEDULE

(1) Salt and hygroscopic substances

(2) Raw (wet and salted) hides and skins

(3) Newspapers and periodicals

(4) Menthol, Camphor, Saffron

(5) Re-fills for ball-point pens

(6) Lighter fuel, including lighters with gas, not having arrangement for refilling

(7) Cells, batteries and rechargeable batteries

(8) Petroleum Products

(9) Dangerous drugs and psychotropic substances

(10) Bulk drugs and chemicals falling under Section VI of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)

(11) Pharmaceutical products falling within Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)

(12) Fireworks

(13) Red Sander

(14) Sandalwood

(15) All taxable goods falling within Chapters 1 to 24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)

(16) All unclaimed/abandoned goods which are liable to rapid depreciation in value on account of fast change in technology or new models etc.

(17) Any goods seized by the proper officer under section 67 of the said Act, which are to be provisionally released under sub-section (6) of section 67 of the said Act, but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of execution of the bond for provisional release.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 13th day of June, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

सं. 50/2018–राज्य कर

फा. सं. 03(56)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/413.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में फा. सं. 03(38)/वित्त(राज.-1)/2017-18/717, तारीख 08 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 33/2017-राज्य कर, तारीख 08 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2019

No. 50/2018–State Tax

F. No. 03(56)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/413.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) and in supercession of the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance, (Revenue-I) No. 33/2017-State Tax, dated the 08th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide number No. F. 3(38)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/717, dated the 08th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:—

(a) an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) Public sector undertakings.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.06 22:17:46 +05'30'